रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1502] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2008/कार्तिक 2, 1930
No. 1502] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2524(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तारीख 24 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 809(अ) द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में मजदूरी की दरों को नियत और पुनरीक्षित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है ;

और उक्त मजदूरी बोर्ड निरन्तर अपना कार्य कर रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में मूल मजदूरी के तीस प्रतिशत की दर से, मजदूरी की अंतरिम दरें नियत करती है ।

मजदूरी की अंतरिम दरें 8 जनवरी, 2008 से देय होंगी ।

[फा. सं. वी-24032/6/2007-डब्ल्यूबी]

अशोक साहु, श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2008

S.O. 2524(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), has constituted a Wage Board for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of working journalist *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, No. S.O. 809(E), dated the 24th May, 2007;

Attested
14/3/16
Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

And whereas the said Wage Board continues to function ;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of working journalists ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A, of the said Act, the Central Government, after consultation with the said Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of working journalists at the rate of thirty per cent of the basic wage.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 8th January, 2008.

[F. No. V-24032/6/2007-WB]

ASHOK SAHU, Labour and Employment Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2525(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 13ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तारीख 24 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 810(अ) द्वारा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों और समाचार अभिकरण कर्मचारियों के सम्बन्ध में मजदूरी की दरों को नियत और पुनरीक्षित करने के लिए एक मजदूरी बोर्ड गठित किया है ;

और उक्त मजदूरी बोर्ड निरन्तर अपना कार्य कर रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों और समाचार अभिकरण कर्मचारियों के सम्बन्ध में मजदूरी की अंतरिम दरें निर्धारित करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13घ के साथ पठित 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मजदूरी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों और समाचार अभिकरण कर्मचारियों के सम्बन्ध में मूल मजदूरी के तीस प्रतिशत की दर से, मजदूरी की अंतरिम दरें नियत करती है ।

मजदूरी की अंतरिम दरें 8 जनवरी, 2008 से देय होंगी ।

[फा. सं. वी-24032/6/2007-डब्ल्यूबी]

अशोक साहु, श्रम और रोजगार सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2008

S.O. 2525(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 13C of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), has constituted a Wage Board for the purpose of fixing and revising the rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and news agency employees *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, No. S.O. 810(E), dated the 24th May, 2007 ;

And whereas the said Wage Board continues to function ;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to fix interim rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and news agency employees ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A, read with Section 13D of the said Act, the Central Government, after consultation with the said Wage Board, hereby fixes the interim rates of wages in respect of non-journalist newspaper employees and news agency employees at the rate of thirty per cent of the basic wage.

The interim rates of wages shall be payable with effect from 8th January, 2008.

[F. No. V-24032/6/2007-WB]

ASHOK SAHU, Labour and Employment Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Attested 14/3/16

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54